

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्देश सं. सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./ 376 /2020

दिनांक : 15/07/2020

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिपद की अनुमति (दिनांक: 15.07.2020) से प्रकाश चन्द्र महाविद्यालय, ककोर बुजुर्ग, औरैया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 50 सीट्स (01 यूनिट) (पूर्व आवंटित 50 सीट्स के अतिरिक्त) सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01.07.2020 से आगामी दो वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों (यथा- महाविद्यालय के खाते में जमा धनराशि का प्रमाणिक अभिलेख बैंक द्वारा प्रमाणित/मूल संलग्न नहीं है, अनुमोदित शिक्षकों के वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रमाणिक अभिलेख उपयुक्त संलग्न नहीं है) को एक माह में पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य-सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता एवं निरन्तरता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
4. महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र (Recognition Letter) में अंकित शर्तों तथा एन०सी०टी०ई० के मानकों की निरन्तरता सुनिश्चित करता रहेगा। एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र में यदि किसी समय एन०सी०टी०ई० द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है या मान्यता वापस ली जाती है तो उस स्थिति में महाविद्यालय तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा।
5. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. बी०एड० पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा एन०सी०टी०ई०, उ०प्र० शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संवर्धन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
10. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
11. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय बी०एड० प्रवेश परीक्षा/काउंसिलिंग, शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

(डा० अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, प्रकाश चन्द्र महाविद्यालय, ककोर बुजुर्ग, औरैया को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को सम्बन्धित महाविद्यालय के कालेज लॉगिन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेंटर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
8. कुलसचिव कार्यालय।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव